न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **8541/2015**
GCMS NO. : 2015/00236

–: प्रार्थी :– **बनाम** **–: अप्रार्थीगण :–**

1. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल, निवासी सियारा, तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

1. मैसर्स निरमा लिमिटेड डीवीजन निम्बोल जरिये सहायक महाप्रबन्धक श्री भरतभाई मेहता पुत्र अनन्तराय मेहता हाल निवासी मैसर्स निरमा लिमिटेड डीवीजन निम्बोल, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
2. मगनभाई पुत्र बलवंतभाई परमार जाति हिन्दू चमार निवासी सांखरी तहसील व जिला पाटन (गुजरात)
3. तहसीलदार जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 02/12/2015

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 15/02/2024**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा डिगरना, पटवार हल्का डिगरना में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 807 रकबा 8–07 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 808 रकबा 5–06 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जो सम्पूर्ण आराजी अकेले प्रार्थी के हक हिस्से की है। जिसे प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद किया है। तब से लेकर आज दिन तक ही प्रार्थी का ही कब्जा व काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या 01 मैसर्स निरमा लिमिटेड डिवीजन निम्बोल का लीज क्षेत्र एम एल नम्बर 377/1990 के अन्दर है। तथा प्रार्थी की आराजी के पड़ौस में अन्य खसरा नम्बरान 809/1 व खसरा नम्बर 808 स्थित है ... दोनों खसरों का मालिकाना हक अप्रार्थी संख्या 02 मगनभाई ... उपरोक्त वर्णित आराजी खरीद करने के बाद मौके पर कब्जा प्राप्त किया एवं ... आराजी में काश्त करना शुरु कर दिया, उसके बाद अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी से सीमा को लेकर विवाद करने लगे तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने तो प्रार्थी की आराजी के कुछ भाग में अर्थात्

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
... भू–अभिलेख अधिकारी

खसरा नम्बर 808 में खनन का मलबा डाल दिया। एवं विवाद करने लग गये जिसका प्रार्थी ने एक प्रकरण थाने में दर्ज करवाया। परन्तु उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की सीमा को लेकर विवाद करने लग गये। तब प्रार्थी ने तहसीलदार जैतारण को अपनी आराजी का नाप चौप करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर दिनाँक 10.11.2015 को श्रीमान् तहसीलदार साहब जैतारण के आदेश क्रमांक/भू.अ./सी.ज्ञा/2014/7675 दिनाँक 30.10.2015 की पालना में ग्राम डिगरना के खसरा नम्बर 807 व 808 का नाप चौप का आदेश हुआ। हल्का पटवारी ने मौके पर पहुँचकर रूबरू मौतबिरान के जरीब चलाकर नाप चौप किया। मौके पर प्रार्थी की आराजी के चारों तरफ मेडबंदी लगी हुई है उसी अनुसार नाप चौप किया गया एवं हल्का पटवारी ने मौके पर ही मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसमें यह बताया कि उपस्थित मौतबिरान के रूबरू नाप चौप कर सीमाज्ञान करवाया। उक्त भूमि खनन क्षेत्र में स्थित है। जिसके एम.एल.नम्बर 377/1990 है। बाद सीमांज्ञान फर्द मौका बनाई जाकर प्रार्थी को पढ़कर सुनाई व हस्ताक्षर कराये। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा नाप चौप करने पर प्रार्थी की आराजी बराबर नाप चौप की एवं उसकी चारों तरफ मेडबंदी के अनुसार वही जगह है जहां पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त है। एवं प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। नकल मौका फर्द रिपोर्ट साथ संलग्न है। हल्का पटवारी द्वारा नाप चौप करने व मौके पर स्थित आराजी का सीमाज्ञान होने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण जानबुझकर आये दिन प्रार्थी की मेडबंदी को बिखेर देते है एवं मलबा डाल देते है तथा हर तरह से आये दिन प्रार्थी की आराजी में सीमा के विवाद को लेकर दखलदाजी व हस्तक्षेप करते है। इतना ही नहीं अप्रार्थी संख्या 01 मैसर्स निरमा लिमिटेड के अधिकारी व कर्मचारियों ने प्रार्थी की आराजी में जाने वाले रास्ते को भी रोक दिया एवं चारों तरफ अपनी माईन्स का हवाला देकर के तारबंदी कर दी। इस प्रकार अप्रार्थीगण जानबुझकर प्रार्थी की आराजी को हड़प करने की नियत से आये दिन वाद विवाद व दखलंदाजी कर सीमा विवाद करते है। यदि अप्रार्थीगण इस तरह प्राथी की मेडबंदी को हटाकर सीमा विवाद करेगे एवं मौके पर पत्थरगढी नहीं करने देगे तो प्रार्थी को अपनी आराजी में काश्त करने में कठिनाईयां एवं दिक्कतें होगी। इस प्रकार से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मौके पर सीमाज्ञान, पत्थरगढी एवं माठ कायम कराने का श्रीमान् के समक्ष बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण के सादर पेश है। हल्का पटवारी द्वारा नाप चौप करने के बाद भी अप्रार्थीगण उक्त नाप चौप से सहमत नहीं हो रहे है। दिनाँक 25.11.2015 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उसकी आराजी से बेदखल करने एवं पुराने नाप चौप से [illegible] एवं ओर अधिक मालबा डालने की धमकीयां दी है एवं [illegible] आराजी में हस्तक्षेप कर रहे है। इसलिए प्रार्थी की आराजी का [illegible] करवाकर पत्थरगढी करवाई जावे एवं मौके पर प्रार्थी की आराजी की माठ कायम [illegible] की जावे। इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (...)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चौधरी ने वकालतनामा पेश किया, जो शा.मि. है। अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

अधिवक्ता मय अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि वास्तविकता में राजस्व मौजा डिगरना, पटवार हल्का डिगरना, तहसील जैतारण में प्रार्थी जवाब देहन्दा कम्पनी के माईनिंग लीज एम एल नम्बर 377/90 निकट ग्राम डिगरना में आई हुई है। उक्त लीज वर्तमान में संचालित है तथा प्रार्थी कम्पनी के इसी लीज क्षेत्र में स्थित खसरा नम्बर 807 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा व खसरा नम्बर 808 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा के मूल खातेदार मुल्तानराम व अन्य ने अपनी इस भूमि का बैचान बालचंद के पक्ष में दिनॉंक 06. 03.2013 व 03.04.2013 को कर दिया। तथा मौके पर भूमि का कब्जा भी क्रेता बालचंद को सोप दिया था। इस प्रकार से भूमि के खातेदार बालचंद ने अपनी उक्त खरीद सुदा भूमि का कब्जा प्राप्त करने के बाद खसरा नम्बर 807 के बाबत दिनॉंक 18.04.2013 को व खसरा नम्बर 808 के बाबत दिनॉंक 15.04.2013 को जवाब देहन्दा कम्पनी के पक्ष में प्रदान खनिज नियम 1960 के नियम 22 (3) (आई) (एच) के तहत उक्त दोनों खसरा नम्बरान की भूमि के सरफेस राईट (सतही अधिकार) जवाब देहन्दा कम्पनी को देते हुये मोके पर कब्जा भी जवाब देहन्दा कम्पनी को सौंप दिया था। उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में 100-100 रूपये स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र भी जवाब देहन्दा कम्पनी के पक्ष में बालचंद ने लिख दिये एवं इस भूमि पर खनन कार्य से सम्बन्धित समस्त अधिकार भूमि के खातेदार द्वारा जवाब देहन्दा कम्पनी को सोपे जा चुके है। जवाब देहन्दा कम्पनी ने मौके पर लाखों रूपये लगाकर खनन से सम्बन्धित गतिविधियां भी शुरू कर दी थी। जवाब देहन्दा कम्पनी ने बालचंद से प्राप्त इसी सहमति के आधार पर माईनिंग इंजनियर सोजत सिटी के समक्ष दिनॉंक 03.02.2015 को इसी सहमति अनुसार दस्तावेजात में अंकन करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर माईनिंग विभाग सोजत सिटी द्वारा उक्त दोनो खसरा नम्बरान की भूमि पर भी खनन गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी थी। जिससे सम्बन्धित दस्तावेजात साथ पेश है। इसी दौरान प्रार्थी ओमप्रकाश व उसके मिलने वाले कैलाश पटलावत ने डिगरना क्षेत्र के कुछ भू-माफियों से सम्पर्क किया एवं प्रार्थी ओमप्रकाश व अन्य ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाने की योजना बनाते हुये कैलाश पटलावत के पक्ष में एक कूटरचित मुख्त्यारनामा तैयार कर जवाब देहन्दा कम्पनी को नुकशान पहुंचाने हेतु एक कूटरचित व फर्जी बैचाननामा प्रार्थी ओमप्रकाश के पक्ष में तैयार करवाया। जिसमें अप्रार्थी बालचंद को भी कोई जानकारी नहीं होने दी थी। इसी फर्जी मुख्त्यारनामा के आधार पर प्रार्थी ओमप्रकाश के पक्ष कूटरचित व फर्जी बैचान विलेख पंजीबद्ध करवाया। जिसके बाबत् प्रार्थी कम्पनी बालचंद को जानकारी होने पर ऐसे कूटरचित व फर्जी बैचान विलेख दिनॉंक 26.02.2015 को शून्य घोषित करवाने हेतु व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पा.)

अस्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र जवबा देहन्दा कम्पनी व बालचंद ने प्रार्थी ओमप्रकाश के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जैतारण के समक्ष पेश किया है। जो दिवानी वाद संख्या 16/2016 जैर विचारण के है। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश भी जारी किये जो आज दिन तक प्रभावी है। मौके पर भी प्रार्थी ओमप्रकाश का कोई कब्जा व अधिकार नहीं है। केवल कूटरचित दस्तावेजात के आधार राजस्व रेकर्ड में ओमप्रकाश का नाम दर्ज है। परन्तु ओमप्रकाश मौके पर आउट ऑफ पजेशन है जो इस कार्यवाही की आड़ में कब्जा प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है। इस प्रकार से उपर वर्णित तथ्यो के आधार पर ओमप्रकाश की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही काबिल खारिज के है जो खारिज की जावें। खसरा नम्बर 807 व 808 की भूमि पर प्रार्थी ओमप्रकाश का कोई कब्जा व हक अधिकार नहीं है न ही उसने कभी कब्जा प्राप्त किया है। मौके पर आज दिन तक कोई काश्त नहीं हुई है। कारण कि सम्पूर्ण भूमि पथरिली व उबड़ खाबड़ है भूमि के नाप चौप को लेकर विवाद होने से सम्बन्धित झूठे आरोप लगाये है। मौके पर जवाब देहन्दा कम्पनी की खनन गतिविधियां चल रही है। प्रार्थी ओमप्रकाश ने तहसीलदार जैतारण से कब सीमाज्ञान के आदेश करवाये। इस सम्बन्ध में जवाब देहन्दा कम्पनी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मौके पर कोई नाप चौप व सीमाज्ञान नहीं हुआ। हल्का पटवारी की ओर से तैयार की गई मौका फर्द पूर्णतया फर्जी है। मौके पर मेड़बन्दी को लेकर व रास्ते की बात को लेकर विवाद होने के कथन भी कतई गलत है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र कतई झूठा व निराधार होने से काबिल खारिज के है जो खारिज किया जावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी एवं दिनाँक 10.11.2015 की मौका फर्द की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई, जो शा.मि. है। अप्रार्थीगण द्वारा अपर जिला न्यायाधीश, जैतारण में दर्ज वादपत्र संख्या 20/2016 मैसर्स निरमा लिमिटेड बनाम ओमप्रकाश वगैरह की दिनाँक 20/09/2016 तक की आदेशिका की प्रमाणित प्रति पेश की गई, जो शा.मि. है।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है–

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डिगरना, पटवार हल्का डिगरना में प्रार्थी [illegible] एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 807 [illegible] किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 808 रकबा 5-06 [illegible] बारानी दोयम है, जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। उपरोक्त वर्णित आ[illegible] अप्रार्थी संख्या 01 मैसर्स निरमा लिमिटेड डिवीजन निम्बोल का लीज क्षेत्र एम एल नम्बर 377/1990

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:12 IST
Reason: SelfAttested

के अन्दर है। तथा प्रार्थी की आराजी के पड़ौस में अन्य खसरा नम्बरान 809/1 व खसरा नम्बर 806 स्थित है। इन दोनों खसरों का मालिकाना हक अप्रार्थी संख्या 02 मगनभाई का है। प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित आराजी खरीद करने के बाद मौके पर कब्जा प्राप्त किया। दिनाँक 10.11.2015 को श्रीमान् तहसीलदार साहब जैतारण के आदेश क्रमांक/भू.अ./सी. ज्ञा/2014/7675 दिनाँक 30.10.2015 की पालना में ग्राम डिगरना के खसरा नम्बर 807 व 808 का नाप चौप का आदेश हुआ। हल्का पटवारी द्वारा नाप चौप करने व मौके पर स्थित आराजी का सीमाज्ञान होने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण जानबुझकर आये दिन प्रार्थी की मेडबंदी को बिखेर देते है एवं मलबा डाल देते है तथा हर तरह से आये दिन प्रार्थी की आराजी में सीमा के विवाद को लेकर दखलदाजी व हस्तक्षेप करते है। हल्का पटवारी द्वारा नाप चौप करने के बाद भी अप्रार्थीगण उक्त नाप चौप से सहमत नहीं हो रहे है। इसलिए प्रार्थी ने मौके की आराजी का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाई जाने एवं मौके पर प्रार्थी की आराजी की माठ कायम की जाने का निवेदन किया।

2. अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया कि इस भूमि के खातेदार बालचंद ने अपनी उक्त खरीद सुदा भूमि का कब्जा प्राप्त करने के बाद खसरा नम्बर 807 के बाबत दिनाँक 18.04.2013 को व खसरा नम्बर 808 के बाबत दिनाँक 15.04.2013 को जवाब देहन्दा कम्पनी के पक्ष में प्रदान खनिज नियम 1960 के नियम 22 (3) (आई) (एच) के तहत उक्त दोनों खसरा नम्बरान की भूमि के सरफेस राईट (सतही अधिकार) जवाब देहन्दा कम्पनी को देते हुये मोके पर कब्जा भी जवाब देहन्दा कम्पनी को सौंप दिया था। प्रार्थी ओमप्रकाश व अन्य ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाने की योजना बनाते हुये कैलाश पटलावत के पक्ष में एक कूटरचित मुख्त्यारनामा तैयार कर जवाब देहन्दा कम्पनी को नुकशान पहुंचाने हेतु एक कूटरचित व फर्जी बैचाननामा प्रार्थी ओमप्रकाश के पक्ष में तैयार करवाया। केवल कूटरचित दस्तावेजात के आधार राजस्व रेकर्ड में ओमप्रकाश का नाम दर्ज है। परन्तु ओमप्रकाश मौके पर आउट ऑफ पजेशन है जो इस कार्यवाही की आड़ में कब्जा प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ओमप्रकाश ने तहसीलदार जैतारण से कब सीमाज्ञान के आदेश करवाये। इस सम्बन्ध में जवाब देहन्दा कम्पनी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मौके पर कोई नाप चौप व सीमाज्ञान नहीं हुआ।

3. पत्रावली व संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन से यह जाहिर है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम डिगरना, तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 807 रकबा 0.8579 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 808 रकबा 0.8579 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का प्रार्थी अभिलिखित खातेदार एवं कब्जे काश्त है। अप्रार्थीगणों की कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाः)

प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 807 एवं 808 के साथ सीमा बनाती है तथा वादग्रस्त आराजी के भू-नक्शे की प्रतिलिपि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आराजी की सीमाएं परस्पर लगती हुई हैं। अतः उभयपक्ष के मध्य भूमि की वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर विवाद होने से इनकार नहीं किया जा सकता तथा प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार होता है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो तथा वह इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं पर सीमा चिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपभोग एवं उपयोग कर सकें।

4. अप्रार्थी संख्या 01 के जवाब प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी ओमप्रकाश ने कूटरचित व फर्जी बेचाननामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करावाने के कथन किये है। इस हेतु अप्रार्थी द्वारा अपर जिला न्यायाधीश, जैतारण के न्यायालय में दावा विचाराधीन है। चूंकि हस्तगत प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान का निवेदन किया गया है न कि कब्जा प्राप्त करने का निवेदन किया है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा यह कथन किया गया है कि तहसीलदार, जैतारण द्वारा कब सीमाज्ञान करवाया गया इस सम्बंध में अप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है। साथ ही यह भी कथन किया कि मौके पर कोई नाप-चौप व सीमाज्ञान नहीं हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के कथनों से स्पष्ट है कि नाप-चौंप व सीमाज्ञान न होने से विवाद की स्थिती सम्भव है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि वादी के पक्ष में यह प्रार्थना-पत्र निर्णित किया जाकर नाप-चौंप व सीमाज्ञान निर्णित किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर वर्णित विवेचन के आधार पर हम हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 807 रकबा 1.3516 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 808 रकबा 0.8579 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आराजी का मुताबिक जमाबंदी एवं भू-नक्शा के मौके पर नाप चौप करते हुए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण खातेदारान के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थी के खर्चे पर प्रार्थी की आराजी की सीमा पर सीमाचिन्ह अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त बिन्दु[illegible] के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधि[illegible]यम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता [illegible] तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व ग्राम [illegible] अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल, तहसील-जैतारण में स्थित प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 807 रकबा 1.3516 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 808

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण ([illegible])

रकबा 0.8579 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम एवं अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया की अनुपालन करते हुए जमाबंदी एवं भू-नक्शे के मुताबिक मौके पर नाप-चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें। प्रार्थी के हर्जे-खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक अधिरोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। यदि मौके पर खातेदारान के मध्य विवाद एवं अशांति की आशंका हो तो संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद लेकर आदेश का मौके पर क्रियान्वयन करवाया जाये। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 15/02/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:12 IST
Reason: SelfAttested